छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा चतुर्थ सत्र अंक-12

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 19 मार्च, 2015

(फाल्गुन 28, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. बधाई

माननीय अध्यक्ष ने श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य के जन्मदिवस के अवसर पर सदन की ओर से माननीय सदस्य को शुभकामनाएं दीं।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 04 से 07, 09, 10, 12, 13, एवं 15 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 03, 08, 11 एवं 14 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: सर्वश्री सियाराम कौशिक, बर्नाड जे. रोड्रिग्स, लालजीत सिंह राठिया एवं राजू सिंह क्षत्री, सदस्य अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 29 तारांकित एवं 56 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. पूच्छा

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने नान घोटाले पर चर्चा की मांग की।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 55 का उल्लेख है कि किसी विषय पर एक बार चर्चा होने के पश्चात् उसी विषय पर चर्चा नहीं हो सकती।

4. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - मुझे श्री भूपेश बघेल एवं अन्य सदस्यों से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। जिसके संबंध में सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर समाचार पत्रों में भी यह प्रकाशित हुआ है कि माननीय सदस्य ऐसी सूचना देंगे।

सर्वप्रथम तो मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि नियमों में यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि किसी भी सूचना का जब तक कि वह अध्यक्ष को प्रस्तुत न कर दिया जाय और उसके ऊपर कोई निर्णय न हो जाये, तब तक उसका प्रचार-प्रसार नहीं करना चाहिये। किंतु मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि सदन में भविष्य में संपादित किये जाने वाले कार्यों का प्रचार-प्रसार माननीय सदस्य नियमों के विपरीत करते हैं। सभी माननीय सदस्य वरिष्ठ हैं, मैं इस संबंध में यही कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों को इससे बचना चाहिए।

जहां तक सूचना में उल्लिखित किए गए तथ्यों का प्रश्न है, समस्त तथ्य पूर्व में दी गई सूचना जिस पर यह सभा भी चर्चा कर चुकी है, से मिलते जुलते ही हैं। केवल सूचना में स्टिंग आपरेशन का उल्लेख अतिरिक्त रूप से किया गया है और इसके साथ ही शासन-प्रशासन के अधिकारियों पर स्टिंग आपरेशन का संदर्भ देते हुए, आरोपात्मक कथन किये गये हैं।

स्थगन प्रस्ताव ऐसे अविलंबनीय स्वरूप का होना चाहिये, जिसे प्रथम दृष्टया यह समाधान हो कि सदन की संपूर्ण कार्यवाही का त्याग करते हुए किसी विषय पर चर्चा तत्काल प्रारंभ की जाये। छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 55 (5) में यह प्रावधानित है कि "प्रस्ताव में उस विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी, जिस पर उस सत्र में चर्चा की जा चुकी है।" इसी तरह संसदीय पद्धति तथा प्रक्रिया पांचवा संस्करण के पृष्ठ क्रमांक 506 में उल्लेख है कि "जिस विषय पर सभा में चर्चा हो चुकी हो, उसे उसी सत्र में पुन: स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता। इसी प्रकार यदि एक ही विषय के संबंध में दिन-प्रतिदिन नई-नई परिस्थितियॉ उत्पन्न हो रही हों तो उस संबंध में दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना को दिन-प्रतिदिन संशोधित नहीं किया जा सकता।"

पूर्व में लोकसभा एवं विधानसभाओं में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार सामान्य तौर पर बजट सत्र में स्थगन प्रस्ताव सभा में नहीं लिए जाते। इसके बावजूद मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रतिपक्ष के दो स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा करा चुका हूं और अब पुन: उन्हीं विषयों को आधार बनाकर स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सभा में किसी भी प्रकार की पृच्छा की जाए अथवा चर्चा की जाए, मैं उसकी अनुमति नहीं देता।

माननीय सदस्य कृपया आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा जैसी महत्वपूर्ण कार्यवाही में हिस्सा लें और कार्यवाही के संचालन में सहयोग करें।

श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से दिशा-निर्देश दिये जाने का आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश के पृष्ठ क्रमांक 100 पर सूचनाओं का प्रचार 236 (क) में इस बात का उल्लेख है कि किसी सूचना का प्रचार किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत न कर ली गई हो और सदस्यों में परिचालित न कर दी गई हो। इसमें यह स्पष्ट है।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री लाभचंद बाफना, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र साजा अंतर्गत धमधा में अवैध थोक सब्जी मंडी का संचालन किए जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

6. बहिर्गमन

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांगेस दल के सदस्यों ने नान घोटाले पर चर्चा न कराये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

(2) श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम (अनुपस्थित) (सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री मोहन मरकाम
(2) श्री लखन देवांगन
(3) श्री जनकराम वर्मा
(4) डॉ. विमल चोपड़ा
(5) श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि नाम-निर्दिष्ट सदस्य श्री बर्नाड जे. रोड्रिग्स द्वारा मार्च-अप्रैल, 2015 सत्र में दिनांक 14 मार्च, 2015 से 07 अप्रैल, 2015 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

10. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री श्रीचंद सुंदरानी, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2015 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्प पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	**सदस्य का नाम**	**समय**
1. (क्रमांक - 05)	श्री देवजी भाई पटेल	1 घंटा 30 मिनट
2. (क्रमांक - 10)	श्री नवीन मारकण्डेय	30 मिनट
2. (क्रमांक - 11)	श्री अवधेश सिंह चंदेल	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री विद्यारतन भसीन

(2) डॉ. खिलावन साहू

12. वर्ष 2015-2016 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

(1) माननीय गृह मंत्री के विभागों की मांगो पर पुनर्ग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री राजेन्द्र कुमार राय (अनुपस्थित), लाभचंद बाफना, (डॉ.) खिलावन साहू, संतोष उपाध्याय, (डॉ.) सनम जांगडे, रामलाल चौहान, राजमहंत सांवलाराम डाहरे, लखन देवांगन,

श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, सर्वश्री देवजी भाई पटेल, गोवर्धन सिंह मांझी, भोजराज नाग।

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगो का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने राजस्व विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 9, भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन से संबंधित मांग संख्या 8, तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित मांग संख्या 47, पुनर्वास से संबंधित मांग संख्या 35, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय से संबंधित मांग संख्या 58, उच्च शिक्षा से संबंधित मांग संख्या 44 एवं विज्ञान एवं टेक्नालॉजी से संबधित मांग संख्या 46 प्रस्तुत की।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

अनुदान मांगों की चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री नवीन मारकण्डेय, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री अवधेश सिंह चंदेल, कवासी लखमा, संतोष उपाध्याय, मोहन मरकाम, श्रीमती सरोजनी बंजारे, सर्वश्री श्रीचंद सुंदरानी, केशव चंद्रा, (डॉ.) खिलावन साहू, (डॉ.) विमल चोपड़ा, संतोष बाफना, तोखन साहू, श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, सर्वश्री दयालदास बघेल, राजेन्द्र कुमार राय, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री पारसनाथ राजवाड़े, सत्यनारायण शर्मा, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष, रामलाल चौहान, बृहस्पत सिंह।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

मांगो का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 39, ग्रामोद्योग से संबंधित मांग संख्या 56, सहकारिता से संबंधित मांग संख्या 17 एवं बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 50 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-39 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, मोतीलाल देवांगन, बृहस्पत सिंह मांग संख्या-56 पर श्री मोतीलाल देवांगन मांग संख्या-17 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, बघेल लखेश्वर, बृहस्पत सिंह, श्रीमती अनिला भेंडिया एवं श्री मोहन मरकाम, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।
श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री नवीन मारकण्डेय, मोहन मरकाम,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से खाद्य मंत्री के विभागों की अनुदान मांगों पर श्री भूपेश बघेल, सदस्य के भाषण के पूर्व तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

सर्वश्री तोखन साहू, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), (डॉ.) सनम जांगड़े, मोतीलाल देवांगन, अरूण वोरा, (डॉ.) विमल चोपड़ा, केशव चंद्रा, सत्यनारायण शर्मा,

रात्रि 8.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2015 (फाल्गुन-29, शक संवत् 1936) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा